भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **2279** जिसका उत्तर
शुक्रवार, **29 जुलाई**, 2022/07 श्रावण, 1944 (शक) को दिया जाना है

एन्नोर कामराजर पोर्ट

2279. श्री टी. आर. बालू :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश के अन्य सभी प्रमुख बंदरगाहों, जिन्हें पोर्ट अथॉरिटी में परिवर्तित कर दिया गया है, की तर्ज पर एन्नोर कामराजर पोर्ट, चेन्नई को पोर्ट अथॉरिटी में परिवर्तित करने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या एन्नोर पोर्ट को पहले ही चेन्नई पोर्ट की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बना दिया गया है;

(घ) क्या एन्नोर पोर्ट और चेन्नई पोर्ट का एक एकल बंदरगाह प्राधिकरण/इकाई के रूप में कार्य करना दोनों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी होगा;और

(ङ) क्या एक प्रमुख पत्तन प्राधिकरण के रूप में चेन्नई पोर्ट को अपनी सहायक कामराजर पोर्ट लिमिटेड की तुलना में पूंजी निवेश, मानव संसाधन प्रबंधन आदि के लिए अधिक स्वायत्तता होगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) और (ख): कामराजर पत्तन, जो पूर्व में एन्नोर पत्तन लिमिटेड था, दिनांक 27.03.2020 तक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम था। चेन्नै पत्तन न्यास द्वारा केंद्र सरकार के 2/3 शेयर अधिग्रहण करने पर, कामराजर पत्तन लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र वाला उपक्रम न रहकर चेन्नै पत्तन न्यास के पूर्ण स्वामित्व वाला आनुषंगिक संगठन बन गया है। चेन्नै पत्तन द्वारा अधिग्रहण होने के पश्चात् भी कामराजर पत्तन ने भारतीय कंपनी अधिनियम

के अंतर्गत कंपनी के रूप में अपने कार्पोरेट ढांचे और कार्यों को बनाए रखा है। इसे पृथक रूप से एक निदेशक मंडल द्वारा शासित किया जाता है, जिसके प्रमुख एक अध्यक्ष हैं, जो चेन्नै पत्तन के भी अध्यक्ष हैं। महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 में केपीएल को शामिल नहीं किया गया है। कामराजर पत्तन लिमिटेड को पत्तन प्राधिकरण के रूप में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ): कामराजर पत्तन लिमिटेड, चेन्नै पत्तन न्यास के पूर्ण स्वामित्व वाला आनुषंगिक संगठन है। कामराजर पत्तन लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत शासित है और चेन्नै पत्तन, महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के अंतर्गत शासित है। इसलिए इन्हें एकल पत्तन प्राधिकरण/एकल इकाई के रूप में मिलाया नहीं जा सकता है। दोनों पत्तनों के कार्मिक बल और अन्य संसाधनों को उपयोग में लाया जा रहा है, ताकि अधिग्रहण का लाभ सामंजस्यपूर्ण रूप से प्राप्त हो सके।

(ङ): कामराजर पत्तन लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत शासित किया जाता है और चेन्नै पत्तन, महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के अंतर्गत शासित है। कामराजर पत्तन लिमिटेड की शक्तियों का प्रत्यायोजन, चेन्नै पत्तन प्राधिकरण से स्वतंत्र है। चूंकि, चेन्नै पत्तन प्राधिकरण, कामराजर पत्तन लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी है अतः, इसे अपनी आनुषंगिक कंपनी पर अधिक स्वायत्तता एवं नियंत्रण प्राप्त है।

*****